



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, 2011 के संबंध में आवश्यक सूचना**

**विज्ञापित संख्या - 16/2011**

एतद् द्वारा वार्षिक इंटर परीक्षा, 2011 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं संबंधित इंटर महाविद्यालय तथा +2 विद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्याओं को सूचित किया जाता है कि सरकार के प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या-12/अ.7-16/2010-470, दिनांक 14.02.2011 के अनुसार परीक्षा विनियम की कंडिका 20 (i) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है:-

“ A Candidate may answer the questions in English, Urdu, Bengali and Oriya till such years as the Council may decide in the case of Secondary Examination and at Inter (+2) in non language subjects.”

उक्त आदेश के आलोक में गैर भाषीय विषयों की परीक्षा हिन्दी एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू, बंगला एवं उड़िया लिपि में भी देने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य को इस आशय के साथ निर्देश दिया जाता है कि वे गैर भाषीय विषयों की परीक्षा उक्त लिपि में लिखने वाले छात्र/छात्राओं की लिपिवार सूची दिनांक 18.03.2011 तक निम्नवत् निर्धारित प्रपत्र में परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि उन छात्र/छात्राओं की उत्तरपुस्तिकाओं की वास्तविक संख्या की जानकारी हो सके और परीक्षोपरान्त उनका मूल्यांकन कराया जा सके।

**प्रपत्र**

जिला का नाम : ..... संकाय का नाम : .....

महाविद्यालय का नाम : .....

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	माता का नाम एवं पिता का नाम	सूचीकरण संख्या	विषय	अभ्युक्ति

JAC/Inter/8548/11/SECY/83/11  
Dt. 07.03.2011  
D.O.P : 08.03.2011

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

( यमुना गिरि )

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।